पंजीकृत पावती उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
कर्मयोगी भवन, चतुर्थ माला, ब्लॉक-2, सी विंग,
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of Regional Controller of Mines
Karmayogi Bhavan, 4th Floor, Block-2, C Wing, Sec 10A
Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई –मेल/ E-mail: ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावली संख्या: गुज/जूना/चू.प- 305 Mine code 38GUJ08351 ID

दिनांक: 05.09.2023

सेवा में : अंबुजा सीमेंट लि
अंबुजानगर- 362 715
तालुका - कोडीनार, जिला – गिर सोमनाथ, गुजरात
e mail – maheshkumar.jain@adani.com

विषय: गुजरात राज्य के गिर सोमनाथ जिले की सूत्रापाडा तालुका में स्थित आपकी सिंगसर चूनापत्थर खान, क्षेत्रफल- 728.1156 हे. में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का स्टार रेटिंग/एम.सी.डी.आर निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 09.08.2023 को श्री महेश कुमार जैन, खान अभिकर्ता की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-

नियम सं.	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	इस कार्यालय के पत्र संख्या 684(4)(1)/MP-311/2020-21 GNR दिनांक 29.01.2021 के द्वारा अनुमोदित रिव्यू खनन योजना के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए खनन कार्य किया जा रहा है- (१) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2022-23 में खान पर 1500 मी. Fencing लगाना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित Fencing नहीं लगाई गई है। (२) अनुमोदित खनन योजना के बिन्दु संख्या 8.3 के अनुसार वर्ष 2022-23 में खान के पर्यावरण सुधार हेतु 3000 पौधें लगा कर वृक्षारोपण करना प्रस्तावित था, लेकिन निरीक्षण के समय पाया गया कि निर्धारित वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
28	निरीक्षण के समय पाया गया कि खनन कार्य अस्थाई रूप से स्थगित किए गए हैं

	लेकिन नियमानुसार इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी को नहीं दी गयी है।
33 read with 31(4)	The owner, agent, mining engineer or manager of mine shall submit the digital copy along with a print copy of the Surface geological plans & sections on or before the 30th June of every year. In your case, you have not submitted the aforesaid updated plan and sections maintained under rule 32 of MCDR,2017 in accordance with rule 31 especially 31(4), to this office, to the extent that the respective proposal of approved mining plan for various activities pertaining to the year 2022-23 were not shown.

०२. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

०३. खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय

मनीष गुप्ता

(मनीष गुप्ता)
सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नही) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, पुराना सचिवालय, ब्लॉक न.- 15, डा जीवराज मेहता भवन, सैक्टर- 10, गांधीनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

३. रक्षित पत्रावली।

सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो